महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधिगणों से 31 मार्च तक भेंट न करने हेतु जनसामान्य से अपील

न्याय साक्षी/रायगढ़। छतीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्तमान समय में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जनसामान्य से सामूहिक रूप में 31 मार्च 2020 तक मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसदगण एवं विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधिगणों से भेंट न करने हेतु अपील की है।

कोरोना वायरस के मद्देनजर एनटीपीसी लारा एवं एनटीपीसी तलाईपाली की जनसुनवाई स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव को लेकर छ.ग.शासन द्वारा जारी एडवाईजरी अनुसार एक ही स्थान पर कोई भी कार्यक्रम जिससे लोगों का जमावड़ा होता हो, उन स्थानों में पूर्व से निर्धारित कार्यक्रमों को सुरक्षा की दृष्टि से स्थगित किया जा रहा है। रायगढ़ एसडीएम आशीष देवांगन ने बताया कि एनटीपीसी परियोजना लारा एवं एनटीपीसी परियोजना तलाईपाली रेलवे लाईन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक समाघात के लिए निर्धारित जनसुनवाई को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित कर दिया गया है। जिसके तहत एनटीपीसी परियोजना लारा हेतु ग्राम-कांदागढ़ में 21 मार्च को, घुटकुपाली में 23 मार्च को तथा आरमुड़ा में 25 मार्च 2020 एवं एनटीपीसी परियोजना तलाईपाली रेलवे लाईन हेतु ग्राम-बड़माल में 27 मार्च, कोतरलिया में 30 मार्च एवं चिटकाकानी में 31 मार्च 2020 को होने वाली जनसुनवाई को स्थगित किया गया है।

21 एवं 22 मार्च को होने वाला स्कूली बसों का निरीक्षण आगामी आदेश तक स्थगित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम व बचाव हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार जिले की समस्त शैक्षणिक संस्थानों की स्कूल बसों के संपूर्ण मूल दस्तावेज एवं चालक के लाईसेंस सहित वाहन का भौतिक निरीक्षण किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार 21 मार्च 2020 प्रातः 9 बजे से तहसील खरसिया, रायगढ़ एवं पुसौर के शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल बसों का मिनी स्टेडियम रायगढ़ में होने वाला निरीक्षण तथा 22 मार्च 2020 प्रातः 9 बजे से तहसील घरघोड़ा, तमनार, धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा की स्कूली बसों का शास.उच्चतर विद्यालय (हाई स्कूल)मैदान घरघोड़ा में होने वाले निरीक्षण को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले प्रवासी श्रमिकों की जानकारी देने के निर्देश

» श्रम विभाग एवं संबंधित जनपद पंचायतों में देनी होगी जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने समस्त जनपद सीईओ को कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार की रोकथाम हेतु राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आने वाले समस्त प्रवासी श्रमिकों की जानकारी देने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि पांच या पांच से अधिक प्रवासी कामगारों के अन्य राज्यों में ठेकेदार के माध्यम से ले जाये जाने की स्थिति में श्रम विभाग से अनुज्ञप्ति लेना और प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी जनपद पंचायतों द्वारा संधारित पंजी में दर्ज करना अनिवार्य है। शासन द्वारा जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाये श्रमिकों को अन्य राज्यों में ले जाने एवं अन्य राज्यों से श्रमिक नहीं लाने हेतु निर्देशित किया गया है।

कोरोना वायरस से संबंधित शिकायत टोल फ्री नंबर 1100 में करा सकते है दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु छ.ग.शासन द्वारा द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहरी क्षेत्र के समस्त नागरिकों हेतु निदान-1100 की सेवाओं में कोरोना वायरस से संबंधित शिकायतें किए जाने के प्रावधान हेतु जोड़ा गया है।

स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का लिया जायजा, दिए विभिन्न एहतियाती निर्देश- कलेक्टर यशवंत कुमार

» कोरोना के संक्रमित मरीजों के इलाज का मॉकड्रिल करें चयनित अस्पताल-कलेक्टर यशवंत » कलेक्टर एवं एसपी ने किया मातृ-शिशु एवं मेट्रो अस्पताल का निरीक्षण

» अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड के साथ [रिंटीन फेशलिटी तैयार

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि रायगढ़ में कोई पॉजिटिव मरीज नही मिला है। किन्तु प्रशासन स्थिति की गंभीरता को लेकर पूरी तरह सजग है। एहतियातन सारे कदम उठाये जा रहे हैं। जिले का स्वास्थ्य अमला लगातार लोगों को जागरूक करने तथा विदेशों से लौटे लोगों की पहचान कर सर्विलांस में लगा है। कलेक्टर यशवंत कुमार व एसपी संतोष सिंह ने मातृ व शिशु अस्पताल व मेट्रो अस्पताल पहुंचकर मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को देखा। उन्होंने दोनों अस्पतालों में अधिकारियों व चिकित्सकों को मरीजों के उपचार के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। मरीजों के आवाजाही के लिए पृथक मार्ग निर्धारित करने व आइसोलेशन वार्ड में उचित तापमान व वेंटिलेशन की व्यवस्था बनाने के लिए भी अस्पताल के प्रबंधन को कहा। साथ ही टेस्ट व इलाज के लिए आवश्यक किट व दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान कोरोना वायरस के नोडल अधिकारी डॉ.वेद गिल्हे ने तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले अस्पताल के प्रवेश द्वार के समीप स्क्रीनिंग ओपीडी बनाई गई है। जहाँ रोगियों के लक्षण व उसके ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी ली जाएगी। तत्पश्चात लक्षण के अनुसार आगे का इलाज प्रारम्भ किया जाएगा। लक्षण मिलने पर मरीज का सैंपल लिया जाएगा और उसे संदिग्ध आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। सैंपल निगेटिव आने पर मरीज को सामान्य इलाज किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीज को तत्काल कन्फर्म आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करते हुए उसका इलाज किया जाएगा। मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ को आवश्यक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आवश्यक उपकरण व टेस्ट किट, चिकित्सकों के लिए मास्क, हेड टू टो प्रोटेक्शन किट व दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मातृ शिशु चिकित्सालय में 30 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिसमें तीसरे मंजिल पर 15 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड संदिग्ध के लिए तथा 15 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड कन्फर्म केसेस के लिए द्वितीय मंजिल पर बनाया गया है।

» कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 19 को बनाया गया नियंत्रण कक्ष

कोरोना के संक्रमण रोकथाम एवं सार्थक उपाय के जिला एवं तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में नोवेले कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं सार्थक उपाय के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला एवं तहसील स्तर पर 23 मार्च 2020 से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्ट्रेट रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 19 को कंट्रोल रूम बनाया गया है।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने तहसील मुख्यालय में 23 मार्च 2020 के पूर्व नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना सुनिश्चित करें। तहसील एवं जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी अपने-अपने अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं सार्थक उपाय के जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर युगल किशोर उर्वशा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह तहसील स्तर पर रायगढ़ तहसील में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार रायगढ़ अरूण कुमार सोम, तहसील पुसौर में नायब तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार पुसौर माया अंचल, तहसील सारंगढ़ में तहसीलदार सारंगढ़ जगतराम सतरंज, तहसील बरमकेला में नायब तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार बरमकेला राकेश वर्मा, तहसील खरसिया में तहसीलदार खरसिया अवंती गुप्ता, तहसील घरघोड़ा में नायब तहसीलदार / प्र.तहसीलदार घरघोड़ा हितेश कुमार साहू, तहसील तमनार में नायब तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार तमनार तीरथराम कश्यप, तहसील लैलूंगा में नायब तहसीलदार/प्र.तहसीलदार घरघोड़ा लैलूंगा अनुज पटेल एवं तहसील धरमजयगढ़ में नायब तहसीलदार/प्र.तहसीलदार धरमजयगढ़ नीतू भगत को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

बुलेरो ने मोटर सायकल को मारी ठोंकर जुर्म दर्ज

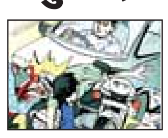

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम नवागाँव थाना धरमजयगढ़ निवासी अजय राठिया पिता महेशराम राठिया उम्र 25 वर्ष दिनांक 19/03/2020 के दोपहर मोटर सायकल क्र. सीजी 13 रू 9833 में टिकेश्वर चौहान तथा सुनेश्वर राठिया दोनों निवासी ग्राम पतरापाली को पीछे बैठाकर मोटर सायकल चलाते हुए कुडुमकेला से नवागांव वापस घर जा रहा था कि दोपहर करीब 02/00 बजे डुमरपाली गांव के पास मेन रोड में सामने धरमजयगढ की ओर से आ रहे सफेद रंग के बुलेरो का चालक अजय राठिया के मोटर सायकल को ठोंकर मारकर भाग गया। एक्सीडेंट से अजय राठिया को चोंट लगने से मौके पर मृत्यु हो गया तथा टिकेश्वर चौहान एवं सुनेश्वर राठिया को चोंटे आयी है। घटना के संबंध में मृतक के भाई के रिपोर्ट पर अज्ञात बोलेरो वाहन के चालक के विरूद्ध अप.क्र. 52/2020 धारा 279,337,304ए ताहि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

शादी के बाद युवती से की दहेज की मांग जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली में दिनांक 19.03.2020 को रायगढ रेल्वे कालोनी में रहने वाली 24 वर्षीय महिला द्वारा अपने पति मोहम्मद अमीर खान, ससुर नासिर खान, सास कमरून निशा, चाचा ससूर परवेज खान, ननंद शाहिना खान, रूबिना खान, नंदोई शेख आरिफ अली एवं मोहम्मद अकरम द्वारा दहेज की मांग कर प्रताडित करने के संबंध में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

पीडिता बतायी कि इसका विवाह दिनांक 27/12/2018 को मोहम्मद अमीर खान आ0 नासिर खान निवासी- गौसिया मस्तीद के पास सोनापाली संबलपुर ओडिसा के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ होटल अंश रायगढ में संपन्न हुआ था। विवाह के समय माता पिता ने स्त्रीधन के रूप में अपने क्षमता से ज्यादा सामान दिया था। जिस समय विवाह तय हुआ था उस समय ससुराल वालो ने दहेज मे कोई समान नही मांगा था परन्तु शादी के दिन ससुर व पति ने दहेज में कार की मांग कर दिये , जिसे नहीं दे पाये परन्तु जैसे तैसे शादी हो गई। पीडिता बताई कि ससुराल वालों ने यह बताया था कि अमीर खान पेशे से इंजिनियर है तथा उनका वेतन 50,000 रुपये मासिक है परन्तु विवाह के बाद चला कि अमीर आई0टी0आई0 पास है तथा विवाह धोखे से किया गया था। विवाह के बाद ससुराल संबंलपुर में ताना मारा जाता था कि पिता से कार की मांगे थे, नही दिये और गाली गलौच कर बुरा बर्ताव किया जाने लगा। अक्टूबर 2019 में रायगढ़ हास्पीटल में विवाहिता ने लड्की को जन्मदिया जिसे देखने ससुरालवाले आए और फिर दहेज में कार दिये जाने पर ही नवजात और उसकी मां को साथ ले जायेंगे बोलने लगे। जब युवती के परिवार वाले कार देने में असमर्थता जताए तो उसके ससुरालवाले उसके नवजात बच्चे को छीनकर साथ ले जाना चाहते थे। युवती के परिवारवालों ने डॉयल 112 को हॉस्पीटल बुलाया तब ससुरालवाले भाग गये। विवाहिता अपने लड़की के साथ मायके में है, ससुराल वाले उसे लेने नहीं आ रहे हैं। पीड़िता के आवेदन पत्र पर उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 267/2020 धारा 498अ 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

विदेशों के साथ अन्य प्रदेशों से लौटे लोग भी स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर कराएं स्क्रीनिंग

स्वास्थ्य विभाग के समक्ष ट्रेवल हिस्ट्री भी दर्ज करवाना होगा

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए राज्य शासन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार 01 जनवरी 2020 के बाद विदेशों से लौटे व्यक्तियों तथा आज कल में प्रदेश के बाहर से यात्रा कर के लौटे यात्रियों का अनिवार्यतः स्वास्थ्य परीक्षण व स्क्रीनिंग किया जाना है।

साथ ही जनहित में ट्रेवल हिस्ट्री की जानकारी भी संधारित करवानी है। विकासखंड स्तर पर मरीज अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा रायगढ़ शहर के मरीज मातृ शिशु अस्पताल रायगढ़ कनकतुरा रोड मेडिकल कॉलेज के बाजू में 24 घंटे में किसी भी समय तथा जिला अस्पताल में स्थित आयुष विंग में प्रातः 8 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक उपस्थित होकर स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। साथ ही इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 104 एवं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में देना है। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु व्हाट्सएप नंबर 9406267203 एवं फोन से जानकारी व सूचना हेतु 9098101115, 8305542111 से प्राप्त कर सकते हैं।

गौतलब है कि चीन सहित विश्व के 100 से अधिक देशों में तथा भारत के 16 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कोरोना विषाणु का फैलाव होने के कारण कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु उद्योग व अन्य व्यवसायिक कार्य करने वाले, अध्यनरत एवं नौकरी पेशा व्यक्ति जो अन्य राज्यों के शहरों में निवासरत है एवं आते जाते हैं ऐसे व्यक्ति एवं यहां के उनके पड़ोसियों को न घबराते हुए सावधानी रखने की आवश्यकता है।

बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपने घर पर अलग कमरे में रहना है एवं अन्य सभी परिजनों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखना है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाना है। बुखार खांसी एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित केंद्रों में जाकर जांच करानी है। सावधानी ही बचाव का कारगर माध्यम है।

कोरोना से बचाव एवं संक्रमण के रोकथाम हेतु 31 मार्च तक प्रकरणों की कार्यवाही स्थगित

» आगामी माह अप्रैल में नियत की गई तिथि » कोरोना वायरस की आवश्यक सुरक्षा हेतु न्यायाधीश एवं अधिवक्ता संघ की बनी विशेष टीम

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ रमाशंकर प्रसाद द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) फैलाव से बचाव एवं एहतियाती उपायों के अन्तर्गत रायगढ़ जिला एवं तहसील स्थित न्यायालयों में 31 मार्च 2020 तक लम्बित सिविल एवं दाण्डिक प्रकरणों को प्रकरणों की कार्यवाही को स्थगित करते हुए आगामी माह अप्रैल 2020 के लिए तिथि निर्धारित की गई।

जिसमें 19 मार्च 2020 को आयोजित प्रकरण की सुनवाई अब 20 अप्रैल 2020 को होगी। इसी तरह 20 मार्च को आयोजित प्रकरण 21 अप्रैल 2020 को, 23 मार्च को आयोजित प्रकरण 22 अप्रैल 2020 को, 24 मार्च को आयोजित प्रकरण 23 अप्रैल 2020 को, 25 मार्च को आयोजित प्रकरण 24 अप्रैल 2020 को, 26 मार्च को आयोजित प्रकरण 25 अप्रैल 2020 को, 27 मार्च को आयोजित प्रकरण 27 अप्रैल 2020 को, 28 मार्च को आयोजित प्रकरण 28 अप्रैल 2020 को, 30 मार्च को आयोजित प्रकरण 29 अप्रैल 2020 को तथा 31 मार्च को आयोजित प्रकरण को आगामी तिथि 30 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई है। उक्त आदेश के अनुसार, पक्षकारों एवं गवाहों को आगामी आदेश तक न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। इसकी सूचना न्यायालयों के बाहर लगे नोटिस बोर्ड एवं बैनर के अतिरिक्त मैसेज से भी प्रेषित किया जा रहा है। किन्तु, न्यायालयों में जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका, अत्यावश्यक आदेश हेतु आवेदन, दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 164 के अन्तर्गत कथन, रोक (स्टे) प्रदान किये जाने हेतु आवेदन तथा अन्य ऐसे अत्यावश्यक मामले ही ग्रहण किये जा रहे हैं साथ ही जिला जेल रायगढ़ एवं उपजेल सारंगढ़ के अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।

कोरोना वायरस के चलते एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की परीक्षा तिथि में संशोधन

» 19 अप्रैल को होगी अब परीक्षा

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व सावधानी को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित एकव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे मुड़पार विकासखण्ड खरसिया एवं संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बायसी विकासखण्ड धरमजयगढ़ हेतु कक्षा 6 वीं में प्रवेश दिए जाने के 29 मार्च 2020 प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई थी। जिसमें संशोधन करते हुए अब नवीन परीक्षा तिथि 19 अप्रैल 2020 दिन रविवार को प्रातः10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है।

संक्रमण को रोकने व बचाव के लिए खरसिया पुलिस क्षेत्र में लोगों को कर रही है जागरूक

न्याय साक्षी/रायगढ़। दुनिया के कई देशों में फैल चुके कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां देश में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

वहीं राज्य सरकार द्वारा भी जनहित में प्रत्येक जिलों में धारा 144 लागू कर आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। जिस पर कोरोना वायरस के फैलाव व संक्रमण से बचाव के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर धारा 144 लागू कराई जाकर, भीड़ एकत्र ना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं तथा साफ सफाई

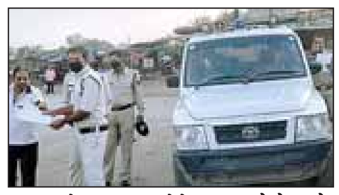

पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

इसी क्रम में खरसिया थाना प्रभारी निरीक्षक एस.आर साहू एवं चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम द्वारा अपने स्टाफ के साथ आज दिनांक 20.03.2020 को द्वारा खरसिया टाउन के अग्रसेन चौक, सुभाष चौक, मंगल बाजार चौक एवं प्रमुख मार्गों पर एलाउंसमेंट कराकर लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण व फैलाव को रोकने के प्रति जागरूक कर पंपलेट बांटा गया है। इस पंपलेट में कोरोना वायरस से होने वाले कोविड-19 से बचाव व फैलाव को रोकने के उपाय बताए गए हैं। खरसिया पुलिस द्वारा क्षेत्र के लोगों से विशेष रूप से अपील किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशों से यात्रा कर शहर में आए है या आते हैं तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस को देंवे। ऐसे नागरिक पहले अपनी जांच करावे। लोगों से यह भी अपील किया गया कि किसी प्रकार की अफवाह को न फैलावें और ना ही उसका हिस्सा बने। अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले, घर के बुजुर्ग एवं बच्चे तथा बीमार व्यक्तियों का खास ध्यान रखें। हाथ मिलाने से बचें, बिना हाथ धोए अपने आंख, मुंह, नाक को ना छुंए। नियमित रूप से दिन में कई बार हाथों को साबुन, साफ पानी से धोएं। छींखते खाते समय मुंह को रुमाल, कपड़े से जरूर ढकें।

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु कोर कमेटी एवं टीम का गठन

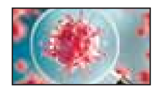

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा रायगढ़ जिले में नोवेले कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तर पर कोर कमेटी एवं टीम का गठन किया गया है।

जिला स्तरीय कोर कमेटी नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिले में निगरानी, जागरूकता, प्रवर्तन, अन्य संक्रमित राज्य एवं विदेशों से आने वाले लोगों के पहचान एवं परीक्षण तथा विकासखण्ड एवं विभिन्न स्तरों पर होने वाले गतिविधियों का निगरानी एवं नियंत्रण समन्वयन का कार्य संपादन करेगी।

जिला कोर कमेटी में नेतृत्व एवं समन्वयन कार्य हेतु कलेक्टर यशवंत कुमार को अध्यक्ष होंगे। इसी तरह प्रवर्तक निगरानी कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा सदस्य बनाया गया है। जन-जागरूकता निगरानी के लिए वनमंडलाधिकारी मनोज पाण्डेय एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को सदस्य, स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, समन्वयन के लिए डिप्टी कलेक्टर युगल किशोर उर्वशा को सदस्य बनाया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHH-